न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 309/2016 दायरा दिनांक : 06.09.2016

उनवान

रामदयाल उम्र 47 वर्ष आत्मज गोविन्द लाल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री तेजमल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री संदीप सक्सैना पैरोकार सरकार की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2016 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज जिससे वाद संख्या 55/2016 वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया गया।

निर्णय दिनांक : 24.07.2023

1– वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी ग्राम किशनगंज पटवार हल्का किशनगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां में स्थित खसरा नम्बर 1476 रकबा 8 बीघा को वादी प्रार्थी संवत 2042

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

से लगातार काबिज काश्त है, संवत 2043 के पूर्व वादी प्रार्थी के परिवार के उक्त आराजी पर काबिज काश्त थे, जिन्होंने उक्त आराजी प्रार्थी को सौपी है। प्रार्थी ने उपजाउ मिट्टी डालकर भूमि को समतल कर भूमि को उपजाउ योग्य बनाया था, जिसमें प्रार्थी का काफी पैसा व श्रम खर्च हुआ। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

2– यह कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी ने लम्बे कब्जे काश्त के आधार पर वर्ष 2000 वर्ष 2002 में नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवार मण्डल किशनगंज की रिपोर्ट मुताबिक रेकार्ड प्रार्थी का कब्जा मानते हैं, रिपोर्ट की गई जिसमें वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित है।

3– यह कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा होने से उसकी किस्म भूमि चारागाह दर्ज होने से प्रार्थी ने ग्राम पंचायत किशनगंज में प्रार्थना पत्र बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया, जिस पर कार्यालय ग्राम पंचायत किशनगंज ने वादग्रस्त आराजी प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त मानते हुए वादग्रस्त आराजी प्रार्थी को आवंटन/नियमन करने से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। इसलिए ग्राम पंचायत को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है।

4– यह कि प्रार्थी के पास अपने व अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उक्त वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर भूमि सुधार हेतु कार्य में काफी श्रम व पैसा खर्च किया है, इसलिए वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। जिससे वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काश्त करते हुए अपने व अपने परिवार का जीवनयापन कर सके।

5– यह कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी ने हंकाई जुताई कर फल बोने हेतु तैयार किया हुआ है। अप्रार्थी अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी को बिना कारण परेशान किया जा रहा है। उसे वादग्रस्त आराजी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

से बेदखल करना चाहते हैं इसलिए प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

6– यह कि प्रार्थी का केस ठोस तथ्यों पर आधारित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

7– यह कि यदि प्रार्थी को जबरन वादग्रस्त आराजी पर बेदखल कर दिया तो अपूर्णीयक्षति होगी तथा प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसको पूरा किया जाना संभव नहीं होगा।

8– अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की वर्णित मद नं. 2 आराजी ग्राम किशनगंज खसरा नम्बर 1476 रकबा 8 बीघा पर प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जावे तथा खिलाफ प्रतिवादी/अप्रार्थी इस आशय की डिक्री जारी की जावे कि अप्रार्थी वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने दे, प्रार्थी की काश्त व्यवस्था में अप्रार्थी न तो स्वयं दखलअन्दाजी करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

9–अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में जर्ये अभिभाषक श्री विजय नागर इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि ग्राम किशनगंज की भूमि खसरा नम्बर 1476 रकबा 8 बीघा स्थित है, जिसे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थी उक्त भूमि पर सम्वत 2043 से पूर्व वादी/प्रार्थी के परिवार उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी ने कब्जे काश्त के आधार पर वर्ष 2000–2002 में नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवार मण्डल किशनगंज की रिपोर्ट मुताबिक रेकार्ड प्रार्थी का कब्जा मानते हैं रिपोर्ट की गई जिससे प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित है।

10– अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम किशनगंज की भूमि खसरा नम्बर 1476 रकबा 8 बीघा पर अप्रार्थी को इस आशय की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करें।

11– प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थी की तलबी की गई। नियत पेशी पर अप्रार्थी की ओर से जवाब इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम किशनगंज की खसरा नम्बर 1476 का कुल रकबा 39 बीघा था जिसमें से 22 बीघा भूमि राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0 को 132 के वी जी एस एस निर्माण हेतु आवंटन की जा चुकी है। अवशेष 17.00 बीघा भूमि चारागाह गोचर प्रयोजनार्थ दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय की आदेश दिनांक 28.01.2011 से राज्य सरकार द्वारा राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी पत्रांक एफ–10(3)/2001/7/जयपुर दिनांक 25.04.2011 से चारागाह भूमि पर आवंटन/नियमन पर रोक लगाई हुए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से प्रतिबंधित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

12– हमने उभयपक्ष की बहस सुनी दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार देते हुए अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करें। सरकार ने अनुरोध किया कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

13– हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2071–2074 व खसरा परिवर्तित अनुसार उक्त भूमि चारागाह दर्ज राज है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक एफ10(3) राज–6/2001/7 दिनांक 25.04.2011 का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया कि कभूमि किस्म चारागाही भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की है। उक्त किस्म की भूमि की आवंटन 1 नियमन नहीं किया जा सकता न कि सरकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

14– उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.ए. का भूमि ग्राम किशनगंज खसरा नम्बर1476 रकबा 8 बीघा किस्म चारागाह का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट था कि अपीलांट व उसके पूर्वजों का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1476 रकबा 8 बीघा पर गत 40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और नियमों के अन्तर्गत उक्त आराजी नियमन योग्य होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में त्रुटि की है।

16– यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र चारागाह होने से आराजी को नियमन योग्य नहीं मानने में त्रुटि की है।

17– यह कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पटवारी रिपोर्ट एवं खसरा परिवर्तनशील से भी अपीलांट के पुराने कब्जे की पुष्टि होती है।

18– यह कि अपीलांट ने प्रस्तुत अपील के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

19– अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व योग्य अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अपीलांट बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे।

20– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

21– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को ही अपनी अन्तिम बहस माना है।

22– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट पैरोकार सरकार ने लिखित बहस में अंकित किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम किशनगंज तहसील किशनगंज जिला बारां के खसरा नम्बर 1476 रकबा 39 बीघा किस्म चारागाह में

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

से 8 बीघा भूमि पर सम्वत 2042 से लगातार काबिज काश्त होने के आधार पर खातेदारी प्रदान करने हेतु अपील प्रस्तुत की थी।

23– अधीनस्थ न्यायालय में पैरोकार सरकार तहसीलदार किशनगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार ग्राम किशनगंज की खसरा नम्बर 1476 का रकबा 39 बीघा था जिसमें से 22 बीघा भूमि राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 132 के.डब्ल्यू जी एस एस निर्माण हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बारां द्वारा आवंटित की जा चुकी है, शेष 17 बीघा भूमि चारागाह गोचरण प्रयोजनार्थ दर्ज है।

24– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना में राज्य सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–10(3) राज–6/2001/7 दिनांक 25.04.2011 से चारागाह भूमि आवंटन व नियमन पर रोक लगाई हुई है। वादग्रस्त भूमि आर.टी. एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अतः चारागाह भूमि को नियमन करने के वाद को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय में विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।

25–विशेष कथन – वादी द्वारा ग्राम किशनगंज की. खसरा नम्बर 1476 का रकबा 8 बीघा किस्म चारागाह भूमि को कब्जे के आधार पर नियमन करने हेतु अपील प्रस्तुत की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 व राज्य सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार चारागाह भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जिस भूमि के नियमन हेतु अपील दायर की है वो आर टी एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि सम्मतहै। मेरी राय में उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

26– हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

27– अधीनस्थ न्यायालय में पैरोकार सरकार तहसीलदार किशनगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार ग्राम किशनगंज की खसरा नम्बर 1476 का रकबा 39 बीघा था जिसमें से 22 बीघा भूमि राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 132 के.डब्ल्यू जी एस एस निर्माण हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय बारां द्वारा आवंटित की ज़ा चुकी है, शेष 17 बीघा भूमि चारागाह गोचरण प्रयोजनार्थ दर्ज है।

28– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना में राज्य सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–10(3) राज–6/2001/7 दिनांक 25.04.2011 से चारागाह भूमि आवंटन व नियमन पर रोक लगायी हुई है। वादग्रस्त भूमि आर.टी. एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अतः चारागाह भूमि को नियमन करने के वाद को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय में विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

29– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2016 यथावत रखा जाता है ।

30– निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/7/2023
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा